भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2724
बुधवार, 12 अगस्त, 2026 (21 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

भारत टैक्सी - सहकारी मॉडल मॉबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म

2724: श्रीमती रेखा शर्माः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री राजेश परमानंद शुक्ल:
श्री बृज लालः
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्रीमती माया नारोलियाः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री नवीन जैनः
श्री सामिक भट्टाचार्यः
श्री मदन राठौड़ः
श्रीमती साधना सिंहः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्री सुभाष बरालाः
श्री राजिन्दर गुप्ताः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक पंजीकृत चालकों तथा ग्राहकों की संख्या सहित सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित भारत टैक्सी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्तमान में यह सेवा किन शहरों में प्रचालनरत है तथा 500 शहरों तक पहुंचने की समय-सीमा सहित अन्य शहरों में इसके प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालक-स्वामित्व वाला सहकारी मॉडल मौजूदा ऐप-आधारित राइड-हेलिंग मंचों की तुलना में चालकों के लिए बेहतर आय तथा कल्याण किस प्रकार सुनिश्चित करेगा; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस पहल के विस्तार हेतु कोई नियामक अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क और ख) सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल), जो कि एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, द्वारा संचालित एवं सहकारिता-आधारित डिजिटल ऐप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के शहरों में आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर 8.48 लाख सारथी और 44.27 लाख ग्राहक पंजीकृत हो चुके हैं।

अन्य शहरों और राज्यों में भारत टैक्सी की सेवाओं का शुभारंभ सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं और आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन किया जाता है। यह विस्तार परिचालन संबंधी तैयारी, सारथियों की उपलब्धता, सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्णता, तथा संबंधित राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है।

भारत टैक्सी की सेवाओं का अन्य शहरों एवं राज्यों में विस्तार सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा किया जाता है।

(ग) भारत टैक्सी ने किफ़ायती दरों, पारदर्शिता और सारथी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सहकारिता-आधारित प्रचालन संरचना को अपनाया है। इसके प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सारथियों के लिए शून्य-कमीशन मॉडल को अपनाया;
ii. अप्रत्यक्ष शुल्कों के बिना पारदर्शी एवं पूर्वानुमेय किराया ढांचा;
iii. सारथियों की आय को स्थिर करने के लिए सदस्यता-आधारित सहभागिता
iv. सारथी-सदस्यों के लिए बीमा कवर और कल्याणकारी योजनाओं से लिंकेज जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की सुविधा; तथा
v. अंगीकरण और पहुँच को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं और सार्वजनिक निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से विस्तार।

(घ) सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा संचालित भारत टैक्सी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत है । यह समिति अधिनियम के प्रावधानों और अपनी पंजीकृत उप-विधियों के अनुसार कार्य करती है । भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है ।
